# लेखाओं का वार्षिक विवरण
# 2015-16

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central), Lucknow

संख्याःपी.डी.ए.सी/ल.के.ओ./डी.एस.ए.आर.–मा.प्र.सं.राँ/2015–16/दिनांकः 1/2017
210

सेवा में,

निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची
सूचना भवन, ऑड्रे हाउस परिसर
मेयर्स रोड
रांची–834008

**विषयः** **भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के वर्ष 2015–16 के खातों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।**

**महाशय,**

मैं वर्ष 2015–16 के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान रांची (भ.प्र.सं.राँ) की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के साथ परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा के प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

2. दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित की गई है।

3. इन लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखे जाने से पूर्व इस पर भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के शासी निकाय द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए।

4. (i) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रमाण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी निकाय के संकल्प (ii) इसे संसद मे प्रस्तुत किये जाने की तिथि तथा (iii) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथासमय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए भेजी जाय।

5. हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी अनुवाद का अवलोकन किया जाय।

6. कृपया संलग्नको के साथ इस पत्र की पावती भेजी जाये।

**भवदीय,**

**संलग्नकः यथोक्त।**

**प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय),**

तृतीय तल, आडिट भवन, टी0सी0–35–V/1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ0प्र0) दूरभाष : 0522–3271022, फैक्स : 0522–3271020
3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph.: 0522-3271022, Fax : 0522&3271020

**भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 31 मार्च 2016 के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

हमने भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची (भ.प्र.सं.राँ) के 31 मार्च 2016 तक के तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का लेखा परीक्षा (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,शक्ति एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 के अनुभाग 20(1) के अन्तर्गत कर ली है। यह लेखा परीक्षा 2019–20 तक की अवधि के लिये सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरणियाँ प्रबन्ध संस्थान की उतरदायित्व है। हमारा उतरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखा प्रचलन पद्वति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। वित्तीय लेन देन पर विधि, नियमों एवं विनिमयों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता सह निश्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ, यदि कोई हैं, निरीक्षण प्रतिवेदनों/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य से रूप से स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की हैं। हमने इन मानकों में अपेक्षित योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा का निश्पादन समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया ताकि यह वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हो । लेखा परीक्षा में नमुना जाँच आधारित परीक्षण रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणो में प्रकटन शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गये लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं। हमारा विश्वास हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया कराती हैं।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमनें टिप्पणी संख्या 3 में वर्णित निम्नलिखित सूचना को छोडकर समस्त सूचना प्राप्त कर लिए हैं :

स्थायी सम्पत्ति पंजी, यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति, अग्रिम पंजी, बजट नियंत्रण पंजी, वाहन लॉग बुक पंजी। एस.एस.–पी.आई.पी. की विवरणी और नियंत्रण पंजी। तदन्तर अनुदान से अधिक व्यय से संबंधित दस्तावेज।

4

(ii) तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा, और प्राप्ति एंव भुगतान लेखा जिन्हें इस प्रतिवेदन में लिया गया है मानव संसाधन विकास मत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है। जैसा कि टिप्पणी सं. ए.2.3.2 और सी.1 में वर्णित है।

(iii) जैसा कि हमारे द्वारा बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची द्वारा समितियों का निबंधन अधिनियम 1860 तथा संस्थान के नियम 18 के अंर्तगत संगठन के ज्ञापन के खण्ड 3 के अधीन आवश्यक लेखा वहिया एवं अन्य सम्बधित दस्तावेज संस्थान द्वारा उचित अवस्था में रखे गये है।

(iv) हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि :–

**अ. तुलन पत्र**

**अ.1 देनदारियों**

अ.1.1 **कोष निधि (अनुसूची–2) रू 8761.93 लाख**

संस्थान ने वर्श 2015–16 के लिए रू 8761.93 लाख का कोश निधि (कॉपस् फंड) का सृजन किया जो कि केन्द्र सरकार के स्वीकृति हेतु लंबित है। यद्यपि इस अनिमियताओं के लिए पूर्व के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, परन्तु संस्थान द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

**अ.1.2. चालू देनदारियों एवं प्रावधान ( अनुसूची–3) रू 543.97 लाख**

**अ.1.2.1.** संस्थान के पास दिनांक 1.4.2015 को अप्रयुक्त भोश राि ा गैर–आवर्ती अनुदान में रू 1978.91 लाख था और वर्श 2015–16 के दौरान गैर–आवर्ती अनुदान में रू 375.00 लाख प्राप्त किया। इसमे से मात्र रू 52.58 लाख वर्श के दौरान खर्च किया और अप्रयुक्त भोश रू 322.42 लाख रहा तथा प्रारंभिक शेश रू 1978.91 लाख रहा। कुल रू 2301.33 लाख का दायित्व का सृजन किया। जैसा कि संस्थान ने इस दायित्व को भीर्श " अनुदान मंत्रालय को वापसी में नही दिखाया गया था, इस प्रकार रू 2301.33 लाख से दायित्वों की न्यूनोक्ति एवं गैर आवर्ती अनुदान की अतियोक्ति हुई।

**अ.2 सम्पत्तियाँ**

**अ.2.1 अचल सम्पत्तियाँ ( अनुसूची–4 रू 752.92 लाख**

**अ.2.1.1** लेखा में दर्शाये गये मूल्यह्रास तथा संम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार मूल्यह्रास के बीच रू. 10.82 लाख का अंतर है।अंतर का विवरणी निम्न हैं:–

| क्र. सं. | विवरणी | मूल्यह्रास की दर | वर्श की समाप्ति पर मूल्य | संपतियों के मूल्यांकान के अनुसार मूल्यह्रास द ाया | संपति के मूल्यांकान के अनुसार मूल्यह्रास | अधिक /कम मूल्यह्रास दिखाया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कम्पयुटर एवं पेरिफेरल | 20% | 14461589 | 181036 | 2892318 | (1082182) |
| 2. | पुस्तकालय | 10% | 2217314 | 223296 | 221731 | 1565 |

5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | की किताबें | | | | | |
| 3. | उपस्कर एवं मरम्मती | 7.5% | 49861256 | 3753814 | 3739594 | 14220 |
| 4. | कार्यालय उपकरण | 7.5% | 2754642 | 206526 | 206598 | (72) |

इन दोनों संख्याओं के अंतर को सामाधान ( रीकोनसाइल) करने की आव यकता है ।

**अ.2.2 निवेश ( अनुसूची–5) रू 6358.97 लाख**

**अ.2.2.1** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दिये गये लेखा प्रारूप के अनुसार इंडोवमेन्ट फंड/इयर मार्क फंड को छोड कर बैंक में सावधि जमा/समयावधि जमा में निवे । को चालू सम्पत्ति के अंर्तगत दिखाया जाना चाहिए।
संस्थान ने अधि ।श कोश रू 6358.97 लाख को विभिन्न बैंको में फिक्स डिपोजिट में निवे । किया। संस्थान ने इस राशि को चालू सम्पत्ति भीर्श के अंर्तगत दिखाने के बजाय निवे । भीर्श के अंर्तगत दिखाया । फलस्वरूप रू 6358.97 लाख से निवे । की अतियोक्ति तथा चालू सम्पत्ति की न्यूनोक्ति हुई।

**अ.2.3 चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम ( अनुसूची–6) रू 5264.56 लाख**

**अ.2.3.1** संस्थान ने रू 2816.80 लाख को मंत्रालय से राजस्व अनुदान प्राप्ति योग्य दिखाया जबकि अनुदान पत्र के अनुसार रू 592.50 लाख ही मंत्रालय से प्राप्ति योग्य था, जो 02.04.2016 को वास्तव में प्राप्त हो गया था और मंत्रालय से पुनः अनुदान प्राप्त नहीं किया जाना था। इस प्रकार सस्थान ने रू 2224.60 लाख अधिक अनुदान मंत्रालय से प्राप्ति योग्य दिखाया। आइ. आइ. एम. के द्वारा साक्ष्य प्रपत्र नही दिखाया गया जिससे यह पता चले कि अनुदान से आधिक्य खर्च एम.एच.आर. डी. से आइ. आइ. एम. को प्राप्य है। परिणाम स्वरूप मंत्रालय से प्राप्ति योग्य निधि के अतियोक्ति के साथ ही साथ चालू परिसम्पत्तियों का रू 2224.60 लाख से अतियोक्ति हुई।

**अ.2.3.2** एम.एच.आर.डी. के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दिए गये एकरूपता लेखा प्रारूप के अनुसार देनदार मद को चालू संम्पत्ति मद के अंर्तगत स्पश्टीकरण के साथ निम्न प्रकार दिखाया जाना चाहिये :

1. छः माह से अधिक अवधि के लिये बकाया देनदारी
2. अन्य

संस्थान के द्वारा कुल विविध देनदार का मूल्य रू 100.80 लाख दिये गये प्रारूप के अनुसार नहीं दिखाया गया। जबकि छः माह से अधिक बकाया देनदार का मूल्य रू 93.03 लाख एवं अन्य देनदार का मूल्य रू 7.77 लाख था। इस प्रकार संस्थान द्वारा एम.एच.आर. डी. के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दिये गये एकरूपता लेखा प्रारूप का पालन नहीं किया गया।

6

**ब. आय एवं व्यय खाता**

**ब.1** संस्थान ने वर्ष 2012–14 से संबंधित रू 5.15 लाख के नामांकन खर्च को चालू वित्तीय वर्ष में नामांकन खर्च भीर्श के अंतगत (सूची–12 शैक्षणिक खर्च) दिखाया जबकि पूर्व अवधि खर्च के अंर्तगत दिखाना चाहिए था। इस प्रकार रू 514553/– से नामांकन खर्च की अतियोक्ति तथा पूर्व अवधि खर्च की न्यूनोक्ति हुई।

जबकि पूर्व अवधि खर्च को आय एवं व्यय खाता में दिखाना चाहिए जो कि इस मद को संस्थान द्वारा नहीं दिखाया गया था।

**स. सामान्य**

**स.1 एम. एच. आर. डी. द्वारा निर्गत लेखा का एकरूपता प्रारूप का अनुपालन नहीं किया गया।**

निधारित प्रारूप के विचलन से संबंधित उदाहरण स्वरूप विवरण निम्न है:–

(क) निर्धारित प्रारूप में शुल्क से प्राप्ति को प्राप्ति एवं भुगतान खाता में शैक्षणिक प्राप्ति भीर्श के अंर्तगत दिखाया जाना चाहिए जबकि इसे शुल्क एंव आय लंबी अवधि प्रोग्राम भीर्श के अंर्तगत दिखाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान भुनाया गया निवेश को प्राप्ति के अंतर्गत नही दिखाया गया था।

(ग) सभी प्रकार के पूर्व अवधि खर्च को प्रारूप के अनुसार खर्च भी शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए जबकि संस्थान द्वारा इसे भुगतान पक्ष में चालू सम्पति के अंतर्गत दिखाया गया है।

(घ) स्वायत संस्था का सावधि जमा को अनुसूचित बैक के साथ सावधि जमा शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए जबकि संस्था द्वारा इसे निवेश भीर्श के अंतर्गत दिखाया गया है।

(च) वैधानिक भुगतानो को भुगतान पक्ष में अन्य भुगतान, शीर्ष के अंतर्गत वैधानिक भुगतान सहित दिखाया जाना चाहिए था जबकि इसे चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया गया है।

**स.2 कोष का विचलन**

संस्थान ने फैलोशिप प्रोग्राम को पोशित करने हेतू भौक्षणिक वर्श 2012–13, 2013–14 एव 2014–15 के लिए रू 251.20 लाख (आवर्ती अनुदान रू 101.20 लाख एवं गैर आवर्ती रू 150.00 लाख) एम.एच.आर.डी. से अनुदान के रूप में प्राप्त किया। प्रबंधन ने फेलौि ाप प्रोग्राम मे छात्रवृति, विविध खर्च, कोर्स मेटेरियल इत्यादि के लिए 31.3.2016 तक रू 195.82 लाख खर्च किया। ये सभी उप ाीर्श आवर्ती भीर्श (राजस्व खर्च) के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार प्रबंधन ने रू 94.62 लाख (रू 195.82–रू101.20) गैर आवर्ती अनुदान (पूंजीगत अनुदान) से आवर्ती अनुदान में कोष का विचलन किया।

7

**स.3 निम्नलिखित अभिलेख/पुस्तिका अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नही किया गया :**

अ. स्थायी सम्पति पंजी

ब. यात्रा भत्ता का कार्यालय प्रति

स. अग्रिम पंजी

द. वजट नियंत्रण पंजी

न. वाहन लॉग बुक

थ. एस.एस/पी.आई.पी. विवरण

ध. संविदा रजिस्टर

**द. सहायता अनुदान**

संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से योजना भीर्श के तहत रू 1176.20 लाख (राजस्व अनुदान रू० 801.20 लाख और पूँजीगत अनुदान रू० 375.00 लाख) अनुदान प्राप्त किया जिसमें रू 251.20 लाख (राजस्व अनुदान रू 101.20 लाख एवं पूँजीगत अनुदान रू 150.00 लाख ) का अनुदान फेलोशिप प्रोग्राम के लिए प्राप्त किया। संस्थान द्वारा उत्पन्न आंतरिक आय रू० 2739.69 लाख था । विगत वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान रू० 5736.12 लाख (राजस्व अनुदान रू० 3757.21 लाख और पूँजीगत अनुदान रू० 1978.91 लाख) था। इस प्रकार संस्थान के पास कुल अनुदान रू० 9652.01 लाख (आवर्ती अनुदान रू० 7298.10 लाख और गैर आवर्ती अनुदान रू० 2353.91 लाख) उपयोग के लिए उपलब्ध थे जिसमें से संस्थान ने रू० 2213.56 लाख (राजस्व अनुदान रू० 2160.98 लाख और पूँजीगत अनुदान रू० 52.58 लाख) का उपयोग किया एवं शेश राशि रू 7438.45 लाख (राजस्व अनुदान रू० 5137.12 लाख और पूँजीगत अनुदान रू० 2301.33 लाख) 31 मार्च 2016 को अनुपयोग राशि के रूप में था।

**<u>प्रबंधन पत्र</u>**

जो त्रुटियाँ इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गयी हैं, उनकी जानकारी संस्थान को प्रबंधन पत्र के द्वारा दे दी गयी है, जो अलग से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए निर्गत की गयी है।

(v) पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दिए गये अवलोकनो के मद्देनजर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, जिसका निपटारा इस प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है, लेखा बही के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराए गये जानकारी एवं दिये गये स्पश्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा विधि की नीतियों, लेखा पर टिप्पणियों तथा उपर वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक में उल्लिखित बातों

8

के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा विधि के सिद्वांतों की अनुरूपता में सच्ची एवं निश्पक्ष मत उपलब्ध करातें हैं।

क) यह भारतीय प्रबन्ध संस्थान, राँची 31 मार्च 2016 से संबंधित तुलन पत्र की परिस्थिति से संबंधित है और

ख) यह उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्श में आय एवं व्यय खाता के अधिशेश से संबंधित है।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से**

**स्थानः लखनऊ**

**दिनांकः 05/01/2017**

**प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ**

9

## अनुलग्नक

**1. आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के द्वारा किया गया था।संस्थान को अभी आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली बनाना है। आंतरिक लेखा परीक्षा पूरे वर्श नहीं किया गया था।

**2. आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

संस्थान में आंतिरक नियन्त्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं :

- संस्थान के द्वारा केंद्रित स्थायी सम्पति पंजी का संधारण नही किया गया। जबकि विभिन्न अनुभागों/विभागों के द्वारा भंडार पंजी का संधारण किया गया है जो कि सम्पति पंजी के प्रारूप में नहीं है। केंद्रीत स्थायी सम्पति पंजी के अनुपस्थिति में संम्पति का मूल्यांकण लेखा वही के साथ सत्यापित करना मुश्कील है।
- संस्थान के पास लेखांकन नियमावली एवं कार्यालय प्रक्रिया नियमावली नहीं है।
- सस्थान के द्वारा निवेश नीति के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिये गये निंदेशो का अनुपालन नहीं किया गया है जिसका उद्देश्य संस्थान का आय उपार्जन है।
- रोकड़ बही को नियमानुसार प्रतिदिन बंद नहीं किया जाता है।
- जिस दिन कोई लेन–देन नहीं हुआ उस दिन का "कोई लेन–देन नहीं" का प्रमाण रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।
- रोकड़ बही, बैक बही एवं लेखा बही को सम्बधित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण नही किया गया था।
- दायित्व पंजी को संधारित नहीं किया गया था।
- केंद्रीत अचल सम्पत्ति का संधारण नहीं किया गाया था।
- निवेश पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
- संचिका/अभिलेख को अनुचित तरीके से रखा गया था, किसी प्रकार का सूची एवं पृश्ठांकण नहीं किया गया था।

- बजट नियंत्रण पंजी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह पता नहीं किया जा सका कि खर्च निधारिंत वजट के अनुसार हुआ है और उचित मद के अंर्तगत किया गया है। इसके अलावा अग्रिम पंजी प्रस्तुत नहीं किये जाने के स्थिति में स–समय समायोजन का पता नहीं किया जा सका।
- वैधानिक देय का भुगतान में विलंब/अनिमियतता।

उपरोक्त विन्दु से यह स्पश्ट है कि आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबुत करने की जरूरत है।

**3. अचल  सम्पत्ति और वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

संस्थान के द्वारा अचल संम्पत्ति और वस्तुसूची वर्ष के लिए का भौतिक सत्यापन  किया गया है।

**4. वैधानिक देय के भुगतान मे नियमितता**

सेवा कर नियम 1994 के नियम 6 के अनुसार सेवा कर  का भुगतान जिस महीनें में सेवा कर रा‍ि ा प्राप्त होती है उसके अगले महीने /त्रैमासिक के 5 तारीख तक (ई भुगतान के मामले में 6 तारीख तक) केन्द्र सरकार के खाते में जमा किया जाना चाहिए । मार्च महीने के मामले में सेवा कर का भुगतान 31 मार्च तक ही करना होता है।

अभिलेखों के जांच से यह पाया गया कि संस्थान ने सेवा कर का भुगतान विलंब से किया है। जुलाई 2015 तक संस्था के सेवा कर दायित्व रू 950893/– था। संस्था ने रू 1040659/– का भुगतान किया अर्थात रू 89766/– केन्द्र सरकार को अधिक भुगतान किया जबकि सेवा कर दायित्व रू 1701138/– का भुगतान वित्तीय वर्श के समाप्ति के बाद किया गया  जिसकी विवरणी निम्न है :

a. दिनांक 22.04.2016-रू.500000/- द्वारा. चालान संख्या 55203.
b. दिनांक 22.04.2016-Rs.691300 द्वारा. चालान संख्या. 55206.
c. दिनांक 04.07.2016-Rs.509838/- द्वारा. चालान संख्या. 61935.

इस प्रकार संस्थान के द्वारा वैधानिक देय का भुगतान अनियमित किया गया।

11

# तुलन पत्र

## दिनांक : 31 मार्च, 2016

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**
**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र**

(राशि रू. में)

| विवरण | अनुसूचि | 31.03.2016 के अनुसार | 31.03.2015 के अनुसार |
|---|---|---|---|
| कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देनदारियां | | | |
| पूंजी निधि | 1 | 32,31,80,454.47 | 2932,27,022.47 |
| कॉर्पस निधि | 2 | 87,61,92,731.11 | 6363,32,142.96 |
| वर्तमान देनदारियां और प्रावधान | 3 | 5,43,97,256.58 | 382,87,648.00 |
| **कुल** | | **125,37,70,442.16** | **9678,46,813.43** |
| संपत्तियां | | | |
| अचल संपत्तियां | | | |
| कुल संपत्तियां | 4 | 11,71,98,606.13 | 112,424,286.31 |
| घटाओ : संचित मूल्यह्रास | | 4,19,07,045,53 | 34,168,308.53 |
| शुद्ध कुल संपत्तियां | | 7,52,91,560.60 | 78,255,977.78 |
| प्रगतिरत पूंजीकार्य | 4 | 1,61,25,165.00 | 160,82,150.00 |
| **कुल** | | **9,14,16,725.60** | **943,38,127.78** |
| निधि का निवेश | 5 | 63,58,97,465.00 | 5465,15,826.00 |
| वर्तमान पूंजी, ऋण और अग्रिम | 6 | 52,64,56,251.56 | 3269,92,859.65 |
| **कुल** | | **125,37,70,442.16** | **9678,46,813.43** |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – अनुसूची – 15

लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16

प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूची – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

स्थान : रांची

दिनाँक : 24.06.2016

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| आय | | | |
| शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय | 7 | 18,86,83,518.82 | 190,422,547.00 |
| सरकारी अनुदान | 8 | 8,01,20,000.00 | 882,90,000.00 |
| ब्याज से आय | 9 | 6,45,02,155.93 | 516,03,636.79 |
| गैर–अनुदान और अन्य प्राप्तियां | 10 | 2,07,83,214.00 | 297,24,158.42 |
| **कुल (क)** | | **35,40,88,888.75** | **3600,40,342.21** |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना व्यय | 11 | 41,788,823.00 | 325,74,328.00 |
| शैक्षिक व्यय | 12 | 74,686,068.60 | 713,27,385.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 13 | 78,009,813.35 | 598,92,289.00 |
| मूल्यह्रास | 4 | 7,736,370.00 | 89,52,341.82 |
| गैर–अनुदान व्यय | 14 | 21,612,778.00 | 342,15,649.00 |
| **कुल (ख)** | | **22,38,33,852.95** | **2069,61,992.82** |
| व्यय पर आय की अधिकता (क–ख) | | 13,02,55,035.80 | 1530,78,349.39 |
| पूंजी निधि से स्थानांतरण | | 77,36,370.00 | 89,52,341.82 |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजित मूल्यह्रास संपत्तियां | | 1,21,14,688.57 | |
| शेष | | 15,01,06,094.37 | 1650,52,572.21 |
| कोर्पस फंड में स्थानांतरण (अनु. 7+9+10+14) | | 25,23,56,110.75 | 2375,34,693.21 |
| **एमएचआरडी से मांगा गया घाटा** | | **10,22,50,016.38** | **724,82,121.00** |

महत्वपूर्ण लेखांकन सुविधाएं – अनुसूची – 15
लेखांकन के भाग स्वरूप टिप्पणियां – अनुसूची – 16
प्राप्ति और भुगतान खाता – अनुसूची – 17

हमारी समान तिथि की संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबद्ध

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

स्थान : रांची
दिनाँक : 24.06.2016

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**

**31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां**

अनुसूचि – 1 पूंजी अनुदान

| **विवरण** | | **31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में)** | **31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में)** |
|---|---|---|---|
| पूंजी निधि का प्रारंभिक शेष | | 28,45,87,500.00 | 231,877,500.00 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त | | 3,75,00,000.00 | 52,710,000.00 |
| कुल | | 32,20,87,500.00 | 284,587,500.00 |
| घटाए : अनुसूचि 4 के अनुसार संचित मूल्यह्रास | | 4,19,07,045.53 | 34,360,477.53 |
| वर्ष के अंत में शेष | | 28,01,80,454.47 | 250,227,022.47 |
| स्थायी परिसर के लिए निधि | | 43,00,000.00 | 43,000,000.00 |
| **कुल** | | **32,31,80,454.47** | **293,227,022.47** |

अनुसूचि – 2 कॉर्पस निधि

| **विवरण** | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| कॉर्पस निधि का प्रारंभिक शेष | | 63,63,32,142.96 | 398,797,449.75 |
| घटाएं पिछले वर्ष की आय के रुप में ली गई राशि | | 1,24,95,522.60 | - |
| | | 62,38,36,620.36 | 398,797,449.75 |
| जोड़े : आय और व्यय खाते से हस्तांतरण | | 25,23,56,110.75 | 237,534,693.21 |
| **कुल** | | **87,61,92,731.11** | **6363,30,142.96** |

अनुसूचि – 3 मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

| **विवरण** | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| मौजूदा देनदारियां | | | |
| 1. सांविधिक देय राशि | | | |
| (क) टीडीएस | 3,081,994.00 | | 249,057.00 |
| (ख) सेवा कर | 1,701,138.00 | 4,783,132.00 | 288,312.00 |
| 2. अन्य मौजूदा देनदारियां | | | |
| (क) व्यय एवं अन्य के लिए देय बीजक | 28,162,027.05 | | 89,65,753.00 |
| (ख) जमा, ईएमडी आदि | 4,20,000.00 | | 2,65,000.00 |
| (ग) पूर्वछात्र निधि | 15,22,070.00 | | 10,35,000.00 |
| (घ) अवधान राशि जमा | 4,360,680.00 | | 48,00,000.00 |
| (ङ) GIAN | 3,63,822.53 | | 16,60,000.00 |
| (च) भोजनशाला जमा | 1,70,000.00 | 34,998,599.58 | 180,000.00 |
| (च) एमडीपी/परामर्श परियोजनाए : | | | - |
| 3 दिन **समूह समझ** प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति | 18,000.00 | | - |
| ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आकलन – विश्व बैंक | 12,89,426.00 | | 22,26,266.00 |
| जन–जातीय उपयोजना का आकलन | 76,44,738.00 | | 76,44,738.00 |
| व्यापार अभिविन्यास कार्यक्रम का विकास | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| एमडीपी आय: व्यावसायी के लिए परियोजना प्रबंधन | 1,54,396.00 | | 1,54,396.00 |
| परियोजना वित्त और ऋण समूहन | 8,427.00 | | 8,427.00 |
| झारखंड में रीडरशिप सर्वेक्षण | 1,08,100.00 | | 1,08,100.00 |
| जेई व एई की भर्ती | - | | 2,76,089.00 |
| मुस्कान आकर्षण | 11,36,695.00 | | 11,36,695.00 |
| रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम | 2,250.00 | | 2,250.00 |
| रांची मे ऑटो रिक्शा चलाने का सर्वेक्षण | - | | 11,46,815.00 |
| एसडब्ल्यूएसएम – ग्रामीण जल एवं स्वच्छता का प्रभाव अध्ययन | 5,66,873.00 | | 4,10,873.00 |
| सीसीएल की परियोजना से प्रभावित लोग | 11,00,000.00 | | 1,10,057.00 |
| 4 दिन **निर्माताओं के लए** वित्त | 6,000.00 | | - |
| 2 दिन staratagic प्रबंधन | 1,21,834.00 | | - |
| 2 दिन **प्रतिगमन मॉड लंग** | 1,30,050.00 | | - |
| सारंडा परियोजना व्यय | -22,193.00 | | -22,193.00 |
| 2 दिन staratagic प्रबंधन EPBAPI | 82,280.00 | | - |
| 10 दिन बीएबीआई | - | | 3,60,000.00 |
| प्रबंधकिय प्रभावशीलता बढ़ाने | 12,06,754.00 | | - |
| एसडब्ल्यूएसएम – प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की नीति | 10,52,895.00 | 14,61,0525.00 | 10,52,895.00 |
| (छ) प्राप्त अग्रिम शुल्क | | | |
| प्राप्त अग्रिम शुल्क – पीजीईएक्सपी | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.0 |
| **कुल** | | **5,43,97,256.58** | **3,82,87,648.00** |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**

**31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरूप अनुसूची – 4**

| विवरण | दर | सकल ब्लॉक | | | | | मूल्यह्रास ब्लॉक | | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के प्रारंभ में लागत | वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी | | वर्ष के दौरान विक्रय/समायोजन | वर्ष के अंत में कुल लागत | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान मूल्यह्रास | वर्ष के दौरान समायोजन | वर्ष का कुल योग | वर्ष के अंत में कुल योग | वर्तमान वर्ष के अंत में | पिछले वर्ष के अंत में |
| | | | रु. 2000 से कम | रु.2000 से अधिक | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. बिल्डिंग | 2.00% | 235,82,167.00 | 0.00 | 8,62,447.00 | 0.00 | 2,44,44,614.00 | 14,28,636.00 | 4,88,892.00 | 0.00 | 4,88,892.00 | 19,17,528.00 | 2,25,27,086.00 | 2,21,53,531.00 |
| 3. कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण | 20.00% | 140,02,905.82 | 0.00 | 4,58,683.00 | 0.00 | 1,44,61,588.82 | 1,06,36,299.82.00 | 18,10,136.00 | 0.00 | 18,10,136.00 | 1,24,46,435.82 | 20,15,153.00 | 33,66,606.00 |
| 4. पुस्तकालय की किताबें | 10.00% | 19,87,458.00 | 1,739.00 | 2,28,117.00 | 0.00 | 22,17,314.00 | 6,54,520.00 | 2,23,296.00 | 0.00 | 2,23,296.00 | 8,77,816.00 | 13,39,498.00 | 13,32,938.00 |
| 5. फर्नीचर और फिटिंग | 7.50% | 487,95,091.00 | 0.00 | 14,91,463.00 | 4,25,298.18 | 4,98,61,255.82 | 89,67,412.00 | 37,53,814.00 | 0.00 | 37,39,596.00 | 1,27,07,008.00 | 3,71,54,247.82 | 3,98,27,679.00 |
| 6. वाहन | 10.00% | 6,75,287.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,75,287.78 | 2,70,300.00 | 67,529.00 | 0.00 | 67,529.00 | 3,37,829.00 | 3,37,458.78 | 4,04,987.78 |
| 7 ऑडियो विजुअल उपकरण | 7.50% | 6,04,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,04,936.00 | 1,48,018.00 | 45,371.00 | 0.00 | 45,371.00 | 1,93,389.00 | 4,11,547.00 | 4,56,918.00 |
| 8. कार्यालय उपकरण | 7.50% | 24,42,955.71 | 0.00 | 3,26,892..00 | 15,206.00 | 27,54,641.71 | 6,39,297.71 | 2,06,526.00 | 0.00 | 2,06,526.00 | 8,48,190.71 | 19,06,451.00 | 18,03,658.00 |
| 9. विद्युत अधिष्ठापन और उपकरण | 5.00% | 106,16,095.00 | 0.00 | 3,59,683.00 | 0.00 | 1,09,75,778.00 | 18,09,377.00 | 5,48,789.00 | 0.00 | 5,48,789.00 | 23,58,166.00 | 86,17,612.00 | 88,06,718.00 |
| 10. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला के उपकरण | 8.00% | 1,48,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,48,926.00 | 45,989.00 | 11,915.00 | 0.00 | 11,915.00 | 57,904.00 | 91,022.00 | 1,02,937.00 |
| **कुल (A)** | | **1028,55,822.31** | **1,739.00** | **37,27,285.00** | **4,40,504.18** | **10,61,44,342.13** | **2,45,99,849.53** | **71,56,268.00** | **0.00** | **71,42,050.00** | **3,17,44,266.53** | **7,44,00,075.00** | **7,82,55,972.78** |
| 11. अमूर्त संपत्ति | 40.00% | 95,68,464.00 | 0.00 | 14,85,800.00 | 0.00 | 1,10,54,264.00 | 95,68,459.00 | 5,94,320.00 | 0.00 | 5,94,320.00 | 1,01,62,779.00 | 8,91,485.00 | 5.00 |
| **कुल (B)** | | **95,68,464.00** | **0.00** | **14,85,800.00** | **0.00** | **1,10,54,264.00** | **95,68,459.00** | **5,94,320.00** | **0.00** | **5,94,320.00** | **1,01,62,779.00** | **8,91,485.00** | **5.00** |
| **कुल (A+B)** | | **11,24,24,286.31** | **1,739.00** | **52,13,085.00** | **4,40,504.18** | **11,71,98,606.13** | **3,41,68,308.53** | **77,50,588.00** | **0.00** | **77,36,370.00** | **4,19,07,045.53** | **7,52,91,560.60** | **7,82,55,977.78** |
| 12. प्रगतिरत पूंजी कार्य | | | | | | | | | | | | | |
| परिसर चाहरदीवारी (C) | | 160,82,150.00 | 0.00 | 43,015.00 | 0.00 | 1,61,25,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,61,25,165.00 | 1,60,82,150.00 |
| **कुल (A+B+C)** | | **12,85,06,436.31** | **1,739.00** | **52,56,100.00** | **4,40,504.18** | **13,33,23,771.13** | **3,41,68,308.53** | **77,50,588.00** | **0.00** | **77,36,370.00** | **4,19,07,045.53** | **9,14,16,725.60** | **9,43,38,127.78** |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र के भाग स्वरुप

अनुसूचि – 5 निधि का निवेश

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमाः | | | |
| | - | | - |
| आईसीआईसीआई बैंक के साथ | | - | 7,00,00,000.00 |
| यस बैंक के साथ | | 11,00,00,000.00 | 10,00,00,000.00 |
| एचडीएफसी बैंक के साथ | | 52,58,97,465.00 | 32,65,15,826.00 |
| कुल | | 63,58,97,465.00 | 54,65,15,826.00 |

अनुसूचि – 6 मौजूदा संपत्तियां, ऋण और अग्रिम

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| क. मौजूदा परिसंपत्तियां | | | |
| 1. हाथ में नकदी | | 36,564.00 | 6,474.00 |
| 2. बैंक बैलेंस | | | |
| भारतीय स्टेट बैंक – चालू खाता | 1,06,21,270.00 | | 39,20,207.00 |
| आईसीआईसीआई बैंक – बचत खाता | 5,75,22,035.46 | | 1259,20,351.19 |
| आईसीआईसीआई बैंक – एडमिशन खाता | 14,25,136.67 | | 8,56,008.80 |
| यस बैंक बचत खाता | 1,00,489,726.42 | | - |
| एचडीएफसी बचत खाता | 3,01,43,507.02 | | 1,86,00,000.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक – एनपीएस खाता | 93,969.00 | 2,00,295,644.57 | 56,682.00 |
| 3. फुटकर देनदार | | 1,00,79,916.00 | 1,01,45,986.00 |
| 4. माल | | 2,47,687.00 | 2,96,238.50.00 |
| 5. हाथ में डाक टिकट | | 68.00 | 72.00 |
| कुल (क) | | 2,10,659,897.57 | 1,59,802,819.49 |
| ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां | | | |
| 1. ऋण और अग्रिम | | | |
| (क) कर्मचारी | 1,88,653.00 | | 11,546.00 |
| (ख) अन्य | 4,86,408.00 | | 5,61,795.00 |
| (ग) वसूली योग्य भविष्य निधि | - | 6,75,061.00 | 2,19,691.00 |
| 2. प्रीपेड व्यय | | | |
| (क) बीमा | 2,27,912.00 | | 2,01,876.00 |
| (ख) अन्य व्यय एएमसी सहित | 1,05,21,937.01 | | 112,46,471.50 |
| (ग) अन्य (PGEMP) | - | 1,07,49,849.01 | - |
| 3. सुरक्षा जमा | | | |
| (क) सुरक्षा जमा | | 5,21,635.00 | 5,21,635.00 |
| 4. उपार्जित आय | | | |
| निवेश पर अर्जित ब्याज | | 1,50,60,569.27 | 1,23,28,666.05 |
| 5. अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां | | | |
| (क) एमएचआरडी–पूंजी से प्राप्य | | - | 636,97,536.56 |
| (ख) एमएचआरडी–राजस्व से प्राप्य | | 28,16,79,673.94 | 724,82,121.00 |
| 6. प्राप्य टीडीएस | | 71,09,583.77 | 59,18,702.05 |
| कुल (ख) | | 31,57,96,371.99 | 16,71,90,040.16 |
| कुल (क+ख) | | 52,64,56,251.56 | 32,69,92,859.65 |

अनुसूचि – 7 शुल्क और लंबी अवधि के कार्यक्रम से अन्य आय

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| शुल्क / सदस्यता | | | |
| 1. ट्यूशन और अन्य शुल्क | | 17,38,90,000.00 | 17,38,90,000.00 |
| 2. जब्त स्वीकृति शुल्क | | 5,98,150.00 | 78,147.00 |
| 3. अन्य प्राप्तियां | | 14,79,886.00 | 14,19,400.00 |
| 4. मैस शुल्क | | 1,47,15,482.82 | 15,035,000.00 |
| कुल | | 18,86,83,518.82 | 19,04,22,547.00 |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र के भाग स्वरुप
अनुसूचि – 8 सहायता अनुदान/सब्सिडी

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1. सरकारी अनुदान–एमएचआरडी पिछले साल से आगे लाया गया | | - | - |
| जोड़ः राजस्व अनुदान – वर्ष के दौरान प्राप्त | | 8,01,20,000.00 | 8,82,90,000.00 |
| घटाएंः समायोजित घाटा | | - | - |
| शेष | | 8,01,20,000.00 | 8,82,90,000.00 |
| जोड़ें: वि.व. 2011–12 के लिए कैग रिपोर्ट के अनुसार समायोजित आय | | - | - |
| आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित | | 8,01,20,000.00 | 8,82,90,000.00 |

अनुसूचि – 9 ब्याज से आय

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1. बचत खातों पर | | | |
| – अनुसूचित बैंको के साथ | | 1,25,11,945.53 | 25,50,921.00 |
| 2. सावधि जमा पर ब्याज | | 5,19,90,210.40 | 490,52,715.79 |
| **कुल** | | **6,45,02,155.93** | **516,03,636.79** |

अनुसूचि – 10 गैर–अनुदान आय

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| ***1. शुल्क एवं अन्य आय*** | | | |
| (क) PGEXP शुल्क | | 1,84,78,696.00 | 240,18,926.33 |
| (ख) कंसल्टेंसी और एमडीपी आय | | 9,26,887.00 | 3,16,609.00 |
| (ग) विविध प्राप्तियां | | 4,01,334.09 | 3,42,540.09 |
| (घ) PGEMP शुल्क | | 7,74,297.00 | 50,46,083.00 |
| (ड) भाषा कोर्स प्राप्तियां | | 2,02,000.00 | - |
| **कुल** | | **2,07,83,214.00** | **2,97,24,158.42** |

अनुसूचि – 11 स्थापना व्यय

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| ***स्थापना व्यय*** | | | |
| 1. वेतन एवं अन्य भत्ते | | 4,05,52,823.00 | 3,13,38,328.00 |
| 2. प्रभारी निदेशक को पारितोषिक | | 1,23,6000.00 | 12,36,000.00 |
| **कुल** | | **4,17,88,823.00** | **3,25,74,328.00** |

अनुसूचि – 12 शैक्षणिक व्यय

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| श ैक्षणिक व्यय | | | |
| 1. विजिटिंग शिक्षकों को मानदेय | | 1,82,52,297.00 | 255,63,897.00 |
| 2. विजिटिंग शिक्षकों को बोर्डिंग और यात्रा व्यय | | 32,94,598.00 | 46,73,853.00 |
| 3. पाठ्यक्रम सामग्री व्यय | | 70,23,371.15 | 63,46,987.50 |
| 4. जर्नल व डाटाबेस व्यय | | 1,72,08,348.95 | 140,27,409.00 |
| 5. सश्फ्टवेयर नवीकरण व्यय | | 40,78,419.00 | 15,86,726.00 |
| 6. छात्र गतिविधियां | | 20,68,248.00 | 4,72,639.00 |
| 7. बाहरी कार्यक्रम व्यय | | 9,79,859.00 | 2,32,000.00 |
| 8. एफपीएम व्यय | | 83,49,942.50 | 57,71,271.00 |
| 9. दीक्षांत समारोह व्यय | | 25,47,454.00 | 12,44,412.00 |
| 10 छात्र कल्याण व्यय | | 7,33,230.00 | 3,36,518.00 |
| 11. शिक्षकों की भर्ती और विकास खर्च | | 8,66,503.00 | 26,92,029.00 |
| 12. एडमिशन व्यय | | 49,72,172.00 | 41,69,561.00 |
| 13. प्लेसमेंट व्यय | | 28,52,635.00 | 30,28,594.50 |
| 14. रा ट्रीय और अंतर्रा ट्रीय सम्मेलन | | 13,81,711.00 | 9,00,588.00 |
| 15. बिजनेस एनालिटिक्स / एचआर कश्न्कलेव / एनएचआरडीएन / एआईएमए | | 480.00 | 2,80,900.00 |
| 16. लाइब्रेरी प्रशिक्षु वजीफा | | 76,800.00 | - |
| **कुल** | | **7,46,86,068.60.00** | **7,13,27,385.00** |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

**अनुसूचि – 13 प्रशासनिक व्ययः**

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| **प्रशासनिक व्ययः** | | | |
| 1. प्रत्यायन | | 16,94,066.18 | 2,03,858.50 |
| 2. विज्ञापन | | 14,59,519.00 | 18,48,908.00 |
| 3. उद्घाटन व्यय | | 2,69,905.00 | 1,16,503.00 |
| 4. उपकरणों का किराया | | 43,67,928.00 | 21,98,166.00 |
| 5. टेलीफोन और मोबाइल प्रभार | | 1,71,325.00 | 1,58,020.00 |
| 6. डाक व तार | | 22,041.00 | 97,195.00 |
| 7. इंटरनेट प्रभार | | 32,07,147.00 | 29,01,047.00 |
| 8. आईटी सहयोग | | 38,66,429.00 | 43,10,412.00 |
| 9. गृहकार्य व्यय | | 44,01,343.00 | 33,39,984.00 |
| 10 समाचार पत्र और पत्रिकाए | | 25,134.00 | 23,714.00 |
| 11. कर्मचारियों की नियुक्ति | | 88,70,867.50 | 56,91,112.00 |
| 12. बोर्ड बैठक व्यय | | 6,56,791.00 | 6,18,555.00 |
| 13. कंसल्टेंसी और मीटिंग व्यय | | 4,14,640.00 | 2,03,214.00 |
| 14. लेखा परीक्षक और कंसल्टेंट्स | | 2,18,829.00 | 1,63,942.00 |
| 15. विद्युत व्यय | | 34,42,413.00 | 30,55,250.00 |
| 16. किराया – निदेशक का आवास | | 5,00,800.00 | 6,37,200.00 |
| 17. किराया – आवासीय फ्लैट | | 1,30,40,780.00 | 1,23,90,378.00 |
| 18. किराया – छात्रावास खेलगांव | | 1,10,19,997.00 | 76,90,164.00 |
| 19. किराया प्रभार – जेनरेटर | | 39,56,245.50 | 19,64,818.50 |
| 20. मरम्मत एवं रखरखाव | | 9,68,821.00 | 4,58,831.00 |
| 21. यात्रा और वाहन व्यय | | 75,30,746.00 | 73,13,867.00 |
| 22. किराया प्रभार – बस / कार | | 1,70,804.00 | 30,741.00 |
| 23. सेमिनार और सम्मेलन | | 4,11,729.00 | 3,13,339.00 |
| 24. बीमा | | 9,72,871.00 | 7,36,307.00 |
| 25. प्रिंटिंग व स्टेशनरी | | 4,54,192.00 | 8,08,406.00 |
| 26. बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय | | 13,55,255.00 | 13,85,227.00 |
| 27. गेस्ट हाउस व्यय | | 300,000.00 | 6,95,273.00 |
| 28. कर्मचारी कल्याण खर्च | | 2,44,618.00 | 2,44,414.00 |
| 29. कार्यालय का खर्चा | | 3,54,622.00 | 1,92,656.00 |
| 30. महत्वपूर्ण दिवस समारोह | | 1,15,833.00 | 9,810.00 |
| 31. आधार शिला पत्थर लगाने का व्यय | | - | 720.00 |
| 32. विविध व्यय | | 33,423.17 | 90,257.00 |
| 33. होलडिंग कर सूचना भवन | | 34,90,699.00 | - |
| **कुल** | | **7,80,09,813.35** | **5,98,92,289.00** |

**अनुसूचि – 14 गैर–अनुदान व्यय भुगतान**

| विवरण | | 31.03.2016 के अनुसार (राशि रू. में) | 31.03.2015 के अनुसार (राशि रू. में) |
|---|---|---|---|
| गैर–अनुदान व्यय भुगतान | | | |
| 1. PGEXP व्यय | | 62,73,076.00 | 1,27,66,622.00 |
| 2. PGEMP व्यय | | 931.00 | 30,36,339.00 |
| 3. एमडीपी व्यय | | 5,700.00 | 2,70,829.00 |
| 4. पाठ्यक्रम व्यय | | - | 23,31,376.00 |
| 5. मैस प्रभार | | 1,25,45,315.00 | 1,21,18,525.00 |
| 6. बोर्ड बैठक शुल्क | | 1,32,810.00 | 1,10,000.00 |
| 7. सेवा कर भुगतान | | - | 35,81,958.00 |
| 8. गैर–अनुदान वेतन | | 24,11,060.00 | - |
| 9. विविध व्यय | | 2,43,886.00 | - |
| **कुल** | | **2,16,12,778.00** | **3,42,15,649.00** |

निदेशक
आईआईएम राँची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आइआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

**भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची**

**अनुसूचि – 15:**

**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरुप एवं अनुबद्ध महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**1. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधारः**

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन के उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत तैयार किए जाते हैं।

**2. राजस्व मान्यताः**

2.1 छात्रों से फीस (ट्युशन फीस को छोड़कर) और बचत बैंक खातों पर ब्याज नकदी आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
2.2 निवेश पर ब्याज उपार्जन के आधार पर लिया गया है।

**3. अचल संपत्तिः**

अचल संपत्तियों की अधिग्रहण लागत को लिया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर, और अधिग्रहण, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।

**4 मूल्यह्रास और परिशोधन**

**क. मूल्यह्रास**

4.1 मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान एमएचआरडी के पत्र क्र.29-4/2012/IFD दिनांकित 17/04/2015 के अनुसार केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि के अनुसार किया गया है।

4.2 मूर्त अचल संपत्तियों की बुक वैल्यू का संबंधित निधि के साथ मिलान के लिए मूर्त अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यह्रास संबंधित निधि से आय एवं व्यय खाता (रेखा से नीचे) में स्थानांतरित किया गया है।

4.3 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया गया है।

4.4 जहां मूर्त अचल संपत्तियों का पूरी तरह मूल्यह्रास हो गया है, उन्हें तुलन–पत्र में रू.1 के अवशिष्ट मूल्य पर रखा गया है और आगे मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

4.5 मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग–अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) को अल्प मूल्य की संपत्ति के रूप में माना गया है। ऐसी संपत्तियों पर उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है
4.6 किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को, हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण, हार्डवेयर की कीमत के साथ ही पूंजीकृत किया गया है। तथापि, सॉफ्टवेयर (ईआरपी सहित) के अधिग्रहण पर किया गया व्यय, जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त आस्तियां माना गया है।

**ख. परिशोधन**

4.7 पेटेंट और कॉपीराइट, ई पत्रिकाएं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें एमएचआरडी द्वारा निर्दिष्ट दरों पर परिशोधित किया गया है। 2 वर्ष से कम अवधि के लिए सॉफ्टवेयर नवीकरण शुल्क राजस्व से लिया गया है।

**5. निवेशः**

5.1 निवेश मोटे तौर पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही किया गया है।

5.2 लंबी अवधि के निवेश को उनकी लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। तथापि, तुलन–पत्र की तिथि पर उनके मूल्य में हुई किसी भी स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है।

**6. वस्तुसूचिः**

वस्तुसूचि में भंडार और स्टेशनरी भी शामिल है, जिसे लागत मूल्य पर लिया गया है। इस तरह की सामग्री को अपने स्थान तक लाने के लिए व्यापार में सामान्य रुप से किए गए व्यय, जहां लागू हो, और उचित खर्च लागत में शामिल हैं।

**7. सरकारी अनुदानः**

पूंजी और राजस्व अनुदान को एम.एच.आर.डी. के निर्देशानुसार उनके संबंधित मदों में विभाजित किया गया है।

**8. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभः**

8.1 परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ, जिसमें नई पेंशन योजना और भविष्य निधि शामिल है, को मान्य किया गया है और वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से लिया गया है।
8.2 नियमित सेवा के 5 साल पूरा होने के बाद ही किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी देय होती है। चूंकि किसी भी कर्मचारी ने 5 साल का समय पूरा नहीं किया है, इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**9. विदेशी मुद्रा लेनदेनः**

विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय और किए गए खर्च लेनदेन की तारीख की विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं और भिन्नता (अगर कोई है) को आय एवं व्यय खाता में लिया गया है।

**10. कैपिटल निधि और कॉर्पस निधिः**

कैपिटल निधि अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित है। यह निधि मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से बनाई गई है। कॉर्पस निधि शासी मंडल के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा उत्पन्न अधिशेष (केवल आंतरिक संसाधनों की आय से) से बनाई गई है।

| | | |
|---|---|---|
| निदेशक | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | वित्त एवं लेखा |
| आईआईएम रांची | आईआईएम रांची | आईआईएम रांची |

**भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची**
**अनुसूची – 16:**
**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन–पत्र के भाग स्वरुप एवं अनुबद्ध लेखांकन टिप्पणियां:–**

**1. टाकस्मिक देयताएं:**
i) प्रारंभिक तौर पर राजभवन में आयोजित की गई बैठक के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा सूचना भवन के भवन में स्थान प्रदान किया गया है जिसका किराया और अन्य नियम व शर्त नहीं बताए गए हैं। इस तरह की जानकारी के अभाव में इस तरह के मामले का वित्तीय निहितार्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
ii) पिछले तीन वर्षों के लिए प्राप्त रांची नगर निगम का दावा विवाद के अधीन है।

**2. पूंजीगत व्यय और मूल्यह्रास:**
i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक – 12 का प्रस्ताव है कि पूरी तरह से सब्सिडी वाली आस्तियों पर कोई भी मूल्यह्रास नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उचित रिकॉर्ड रखने के लिए, अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया गया है और पूंजी निधि से घटाया गया है।
सी ए जी अकेछन प्रतिवेदन OAD-C/SAR-IIMR/2014-15/586 दिनांकित 17/03/2016 के आधार पर रू 1,24,95,522.60 मूल्यह्रास आय और व्यय खाते में चार्ज किया गया है।
ii) मूर्त अचल संपत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का अलग–अलग मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है, (लाइब्रेरी की किताबों को छोड़कर), को अल्प मूल्य की संपत्ति माना गया है (लेखांकन नीति 4.5 के अनुसार)। ऐसी संपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। सभी मामलों में इसी नीति का पालन किया गया है स्टील ट्रंक के मामले को छोड़कर जो फर्नीचर और फिक्चर मद के तहत पूंजीकृत है।

**3. संचालन घाटा / अधिशेष:**
एमएचआरडी से प्राप्त राजस्व अनुदान से राजस्व व्यय को घटाने के बाद एमएचआरडी का दावा पूरा कर लिया गया है।

**4. कॉर्पस निधि:**
कॉर्पस निधि का निर्माण शासी मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। रू.25,23,56,110.75 की राशि कॉर्पस निधि के लिए स्थानांतरित कर दी गई है। पूंजी और राजस्व का विभाजन आंतरिक रिकॉर्ड के लिए है। हालांकि, दोनों कॉर्पस और पूंजी निधि भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

**5. परिसर के लिए पूंजी अनुदान:**
स्थायी परिसर के लिए रु.4,30,00,000/- का अनुदान वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवंटित किया गया है, जिसमें से रू.1,61,25,165.00 की राशि नगरी गांव में चाहरदीवारी के निर्माण के लिए किए गए खर्च की गई थी। निर्माण बाधित हो गया था और व्यय की गई राशि की लेखा–समाप्ति का मामला आगे की कार्रवाई के लिए शासी मंडल के पास ले जाया जाएगा।

**6. प्रगतिरत कार्य के तहत संपत्ति की बुकिंग:**
वित्त वर्ष 2012-13 के अंत तक प्रगतिरत कार्य में रखी गई राशि को अचल संपत्तियों के तहत विभिन्न मदों जैसे भवन, फर्नीचर और फिक्चर में बुक किया गया है।

**7. आईआईएम रांची कैम्पस के लिए आवंटित नई भूमि का प्रकटीकरण:**
झारखंड सरकार ने आईआईएम रांची के परिसर के निर्माण के लिए HEC क्षेत्र गांव में भूमि आवंटित की है। भूमि अभी तक आईआईएम रांची को सौंपा नहीं गया है इसलिए इसे अभी तक लेखांकित नहीं किया गया है।

**8. आईआईएम रांची का अधिकार रहित भवन:**
वर्तमान में संस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भवन की इमारत में चल रहा है। जो आईआईएम रांची से संबंधित नहीं है। इसलिए सिर्फ अवस्थापना सुविधाओं में होने वाली वृद्धि को ही पूंजीकृत किया जा रहा है।

**9. मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:**
प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम को सामान्य व्यापार क्रम में प्राप्य मूल्य पर लिया गया है जो कम से कम तुलन–पत्र में दी गई कुल राशि के बराबर है।

**10. निवेश:**
निवेश कॉर्पस निधि, छात्रों से जमा, परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम निधि, और एमएचआरडी से प्राप्त पूंजी अनुदान के शेष से समानुपात में किया जा रहा है।

**11. कराधान:** संस्थान, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (iiiab) के तहत आयकर से मुक्त है, इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा संस्थान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2। का तहत पंजीकृत है।

**12. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ:**
i) संस्थान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एनएसडीएल द्वारा संचालित नई पेंशन योजना में शामिल है।
ii) सभी अनुबंधों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पूर्वव्यापी रुप से जुलाई, 2012 से भविष्य निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियंत्रित है। पीएफआरडीए को भुगतान की वास्तविक राशि वास्तविक दायित्व के आधार पर राजस्व से ली जाती है।

13. परामर्श परियोजनाएं जो वित्तीय वर्ष के अंत में जारी हैं, उन पर साल के दौरान किए गए व्यय को व्यय के रुप में लेखांकित किया गया है और उतनी ही राशि परामर्श परियोजनाओं से होने वाली आय के रूप में लेखांकित की गई है ताकि आय और व्यय खाते का आंकड़े सही बने रहें।

14. जहां आवश्यक हुआ, पिछले साल के आंकड़ों को फिर से एकजुट और वर्गीकृत कर दिया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| स्थान : रांची<br>दिनांक : 24. 06.2016 | निदेशक<br>आईआईएम रांची | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी<br>आईआईएम रांची | वित्त एवं लेखा<br>आईआईएम रांची |

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**

**अनुसूचि 17**

**31 मार्च 2016 के अनुसार प्राप्ति और भुगतान खाता**

| विवरण | | वर्ष 2015–16 के लिए (राशि रु. में) | विवरण | | वर्ष 2015–16 के लिए (राशि रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***प्रारंभिक शेष*** | | 14,93,60,522.99 | **वर्तमान देनदारियां और प्रावधान** | | 18,93,75,489.38 |
| बैंक खाता | 14,93,54,048.99 | | विजिटिंग शिक्षकों | 2,47,57,664.47 | |
| नगदी | 6,474.00 | | एमडीपी एव कंसल्टेंसी | 3,19,505.97 | |
| **पूंजी खाता** | | 1,50,00,000.00 | देनदारियां | 14,09,48,591.96 | |
| फैलोशिप कार्यक्रम अनुदान (35) | 1,50,00,000.00 | | किराया | 73,73,295.00 | |
| **वर्तमान देनदारियां और प्रावधान** | | 3,23,20,965.00 | वर्तमान देनदारियां - अन्य | 71,71,952.00 | |
| विजिटिंग शिक्षकों | 12,10,323.00 | | सांविधिक कर्तव्यों एव कर देय | 88,04,480.00 | |
| एमडीपी एव कंसल्टेंसी | 21,24,021.00 | | **अचल संपत्तियां** | | 12,972.00 |
| देनदारियां | 1,18,39,801.00 | | पुस्तकालय की किताबें | 12,972.00 | |
| किराया | 37,680.00 | | **निवेश** | | 28,00,00,000.00 |
| वर्तमान देनदारियां - अन्य | 73,56,000.00 | | सावधि जमा - एचडीएफसी | 17,00,00,000.00 | |
| सांविधिक कर्तव्यों एव कर देय | 97,53,140.00 | | सावधि जमा - यस बैंक | 11,00,00,000.00 | |
| **सावधि जमाः** | | 22,00,00,000.00 | **चल संपत्तियां** | | 14,64,818.00 |
| बैंकों में सावधि जमा | 22,00,00,000.00 | | ऋण और अग्रिम (संपत्ति) | 13,07,045.00 | |
| **वर्तमान संपत्तियां** | | 5,46,68,505.07 | फुटकर देनदार | 1,09,050.00 | |
| अर्जित ब्याज | 27,01,484.07 | | पूर्व अवधि व्यय | 48,723.00 | |
| कर्मचारी से प्राप्य | 66,801.00 | | **लंबी अवधि के कार्यक्रम से शुल्क प्राप्ति** | | 33,68,350.00 |
| प्राप्य - एमएचआरडी | 4,92,50,000.00 | | एडमिशन शुल्क | 14,400.00 | |
| ऋण और अग्रिम (संपत्ति) | 3,42,081.00 | | लंबी अवधि पाठ्यक्रम शुल्क | 33,53,950.00 | |
| फुटकर देनदार | 21,96,729.00 | | **अनुदान व्यय** | | 5,03,88,833.85 |
| प्राप्य टीडीएस | 1,11,410.00 | | 1 स्थापना व्यय | 3,62,44,106.00 | |
| **सहायता अनुदान प्राप्ति** | | 1,01,20,000.00 | 2 शैक्षणिक सामग्री व्यय | 1,11,92,627.00 | |
| राजस्व अनुदान | 1,01,20,000.00 | | 3 अन्य प्रशासनिक व्यय | 29,52,100.85 | |
| **लंबी अवधि के कार्यक्रम से शुल्क प्राप्ति** | | 17,49,80,518.82 | **गैर–अनुदान व्यय** | | 27,81,696.00 |
| एडमिशन शुल्क | 14,94,286.00 | | बोर्ड बैठक व्यय | 1,20,000.00 | |
| लंबी अवधि पाठ्यक्रम शुल्क | 17,34,86,232.82 | | शैक्षणिक व्यय | 24,17,810.00 | |
| **अनुदान व्यय** | | 5,24,814.00 | विविध व्यय | 2,43,886.00 | |
| 1 स्थापना व्यय | 900.00 | | **गैर–अनुदान आय** | | 53,91,418.00 |
| 2 शैक्षणिक सामग्री व्यय | 3,25,474.00 | | स्वीकृति शुल्क(15-17) | 48,30,650.00 | |
| 3 अन्य प्रशासनिक व्यय | 1,98,440.00 | | भाषा कोर्स | 2,000.00 | |
| **ब्याज प्राप्ति** | | 2,84,89,837.92 | विविध प्राप्ति | 9,760.00 | |
| बचत बैंक खाता | 1,25,11,945.53 | | सेवा कर प्राप्ति | 5,49,008.00 | |
| निवेश | 1,59,77,892.39 | | | | |
| **गैर–अनुदान व्यय** | | 6,750.00 | **अंतिम शेषः** | | 20,02,95,644.57 |
| शैक्षणिक व्यय | 6,750.00 | | बैंक शेष | 20,02,95,644.57 | |
| **गैर–अनुदान आय** | | 4,76,43,872.00 | नगदी | | 36,564.00 |
| स्वीकृति शुल्क(15-17) | 2,18,99,000.00 | | | | |
| भाषा कोर्स प्राप्तियां | 2,04,000.00 | | | | |
| विविध प्राप्ति | 51,14,057.00 | | | | |
| PGEXP शुल्क प्राप्ति | 1,66,000.00 | | | | |
| सेवा कर प्राप्ति | 2,01,82,815.00 | | | | |
| देरी Fine | 78,000.00 | | | | |
| **कुल** | | 73,31,15,785.80 | **कुल** | | 73,31,15,785.80 |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RANCHI

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**
**वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान की स्थिति**

| विवरण | | राजस्व अनुदान | पूंजी अनुदान | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 के अनुसार | क | -1,228.72 | 1,972.61 | 743.89 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | | | | |
| दिनांकः 10.06.2015 | | 200.00 | 125.00 | 325.00 |
| दिनांकः 03.09.2015 | | 101.20 | 150.00 | 251.20 |
| दिनांकः 17.03.2016 | | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
| वि.व. 2015–16 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान | ख | 801.20 | 375.00 | 1,176.20 |
| **महायोग** | **क+ख** | **-427.52** | **2,347.61** | **1,920.09** |

**भारतीय प्रबंध संस्थान रांची**
**31.03.2016 के अनुसार सावधि जमा और उस पर ब्याज स्वरूप उपार्जित आय का विवरण**

| क्र. सं. | तिथि | बैंक | एफडीआर न. | ब्याज दर % में | निवेश की अवधि | परिपक्वता अवधि | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2015 | एचडीएफसी बैंक | 50300070152038/R | 7.50% | 1 वर्ष | 12.04.2016 | 21,81,34,902.00 |
| 2 | 16-01-2016 | एचडीएफसी बैंक | 50300076635198/R | 7.50% | 1 वर्ष | 18-01-2017 | 3,27,19,900.00 |
| 3 | 17-01-2015 | एचडीएफसी बैंक | 50300076635070/R | 7.50% | 1 वर्ष | 19-01-2017 | 2,18,13,253.00 |
| 4 | 11-01-2016 | एचडीएफसी बैंक | 50300027908582/R | 7.50% | 1 वर्ष | 11-01-2017 | 8,32,29,410.00 |
| 5 | 22-02-2016 | एचडीएफसी बैंक | 50300133183681 | 7.71% | 1 वर्ष | 23-02-2017 | 15,00,00,000.00 |
| 6 | 04-03-2016 | एचडीएफसी बैंक | 50300133509580 | 7.71% | 1 वर्ष | 05-03-2017 | 2,00,00,000.00 |
| 7 | 05-03-2016 | यस बैंक | 008040400019941 | 8. 00% | 1 वर्ष | 06-03-2017 | 1,10,00,000.00 |
| | | | | | | कुल | **63,58,97,465.00** |

निदेशक
आईआईएम रांची

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
आईआईएम रांची

वित्त एवं लेखा
आईआईएम रांची